1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

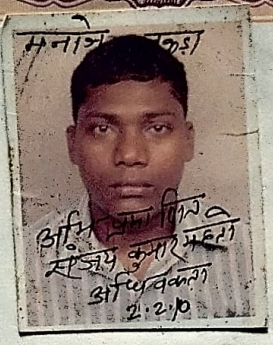

[illegible] भारतकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 [illegible] के अधीन [illegible] भारतीय स्टाम्प अधिनियम [illegible] 1899 की अनुसूची [illegible] with the permission D. C. Simdega vide case 86 / 2009-10, order dt. 29.9.09. [illegible] शुल्क अपेक्षित नहीं।

§1§ लेख्यकारी:- श्री मनोज लकड़ा पिता स्व0 विमल देवनीश लकड़ा, जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम-खिजरी पुरनापानी, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

...... बिक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 64 / 2010

13/10

000024/10

Sold no. 13 dt 22-1-10

कार्यालय जिला कोषागार पदाधिकारी

22 JAN 2010

सिमडेगा

श्रीमती अनरस्ता टियास्सारेंग
पति श्री सैनेन डुंगडुंग
ग्रा. बिरूबगरा जिला सिमडेगा
निम्नलिखित ननजुडिशियल स्टाम्प
खरीदी केलेन्टी
रकम 7,000/-
24/1/10
कोषागार लिपिक

1000×7 = 7,000=

कुल – 7,000=

Manoj Lakra
2.2.10

जिला अवर निबंधक सिमडेगा
झारखण्ड

02-2-10 10 to 1

दिनांक .... रु० का ....
अपराह्न में अवर निबंधन कार्यालय
सिमडेगा में लेख्यकारी या लेख्यधारी
या उनके मुख्तार जो सम्यक ....
शक्ति संयुक्त ....
प्रमाण .... के लिए
निबंधक द्वारा प्रमाणीकृत है।
श्री / श्रीमती मनोज लकड़ा
पिता / पति श्री स्व० विमल देवनीश लकड़ा
निवासी रिझमरी थाना सिमडेगा
जाति पुरनापानी
सोनीदेवी
2.2.10

2-2-10

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

﴾2﴿ लेख्यधारिणी:- श्रीमती अनस्तासिया सोरेंग पति श्री सेनेन डुंगडुंग, जाति- खड़िया, पेशा- नौकरी, निवास ग्राम- पिथरा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. कृतिका ।

शपथ-पत्र संख्या:- 65/ 2010

﴾3﴿ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

﴾4﴿ मूल्य:- मोबलिग एक लाख पचहत्तर हजार रुपये अंके 1,75,000/- रुपये होता है ।

﴾5﴿ सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- खिजरी पुरनापानी, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 130 ﴾एक सौ तीस﴿ प्लॉट नं0 61 ﴾एकसठ﴿ रकबा 2·32 एकड़ में से 0·18 एकड़ ﴾अठारह डिसमिल﴿ यह जमीन व्यवसायिक नहीं है पूर्णत: आवासीय है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता टांड़,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश हाल खरीदगी टांड़,

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश रास्ता 5 फीट का,

2.2.10

00000 25/10

13
२२/1/10

कार्यालय जिला कोषागार पदाधिकारी
12 JAN 2018
सिमडेगा

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

पशिचम:- इसी प्लॉट का अंश किशोर लकड़ा का टांड़ ।
मालगुजारी 5 पैसा (पाँच पैसा) अलावे सेस सलाना ।

(1) चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान निर्माण एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे दादा गोसाईं उराँव वगै० के नाम से नाप दर्ज है । मेरे दादा एवं पिताजी की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद

2.2.10

2.2.10

1000Rs.

जमीन का आपसी मौखिक भैयादी बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

§4§ चुँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य है अत: जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 186/2009-10 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 29·9·09 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 845§।।§ दिनांक 30·9·2009 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

1000 Rs.

--5--

मै लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

Manoj Lakra

Manoj Lakra 2.2.10

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।
संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
2.2.10

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

अनास्तासिया सोरेंग
2.2.2010

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।
संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
2.2.10

1000Rs.

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
(प्रारूपकर्त्ता)
तारीख:- 2.2.10

संजय कुमार महतो
2.2.10

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल सात पृष्ठों में कुल 586 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसूद
2-2-2010

मो० मकसूद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

Manoj Lakra
2.2.10